भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1559

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

बीजों के लिए खेती और उपयोग के मूल्य (वीसीयू) परीक्षण

1559. श्री शफी परम्बिल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीजों के लिए खेती और उपयोग के मूल्य (वीसीयू) परीक्षण का अर्थ और निहितार्थ क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बीजों के लिए खेती और उपयोग के मूल्य (वीसीयू) परीक्षण शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत भारतीय किसानों के लिए कोई सुरक्षा है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : विभिन्न कृषि-जलवायु स्थितियों के तहत बीज किस्मों का कृषि संबंधी कार्य-निष्पादन तथा उपभोक्ता के लिए इनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए खेती और उपयोग संबंधी मूल्य (VCU) परीक्षण एक प्रणालीबद्ध मूल्यांकन प्रक्रिया है। इस प्रकार के परीक्षण के निहितार्थ किसानों को सिद्ध किए हुए कार्य-निष्पादन और मूल्य के साथ-साथ किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं।

(ख) : खेती और उपयोग संबंधी मूल्य (VCU) परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) के ''अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजनाओं के तहत फसल किस्मों के परीक्षण हेतु दिशानिर्देशों'' के अनुसार मौजूदा बहु-स्थानिक किस्म मूल्यांकन के अनुरूप है।

(ग) एवं (घ) : जी, हाँ। खाद्य एवं कृषि संबंधी पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture-ITPGRFA) के अनुच्छेद 9 में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं जिसमें भारत एक अनुबंधीय पक्ष (Contracting Party) है। भारत ने प्रमुख रूप से अपने किसान अधिकारों के दायित्व को पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FRA), 2001 के माध्यम से संस्थापित किया है।

******